


कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/अराज/2023/ 4753

जबलपुर, दिनांक:-2/6/2023

"आदेश"

कार्यालयीन सूचना क्रमांक/स्था/अराज/2022/8296 जबलपुर, दिनांक 23/08/2022 में संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-एफ2/57/2018/55-1, भोपाल दिनांक 30/09/2018 के तहत जारी आपसी अदला-बदली के नियम को संस्था की स्वशासी कार्यकारिणी समिति में अंगीकार करते हुये अदला-बदली से आने वाले एवं अन्य संस्थाओं में जाने वाले कर्मचारियों के लिए दिनांक 15/05/2023 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 26/04/2023 को आयोजित कार्यकारिणी समिति में लिए गए निर्णय जिसमें कर्मचारियों को आपसी अदला-बदली हेतु 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य है एवं आपसी अदली-बदली से आने एवं जाने वाले कर्मचारियों की योग्यता एवं श्रेणी समान होना चाहिए। को विलोपित जाता है एवं एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में परस्पर सहमति से अदला-बदली हेतु शासन द्वारा बनाये गए नियमानुसार ही कार्यवाही की जावेगी।


अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

क्र/स्था/अराज/2023/

जबलपुर दिनांक :- /06/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर।
2. संभागायुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर ओर।
3. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, खंडवा, शिवपुरी, रतलाम, सागर, दतिया, छिदवाडा, शहडोल, विदिशा।
4. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय जबलपुर की ओर।
5. संचालक, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
6. संचालक, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसीन, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
7. अधीक्षक, कैंसर चिकित्सालय, मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
8. प्रशासकीय अधिकारी, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
9. स्थानीय लेखा शाखा की ओर।
10. कालेज की वेबसाइट www.nscbmc.ac.in में प्रकाशित करने हेतु।

॥
अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर